

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री उदयलाल  
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य  
पत्रावली संख्या : 93 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 12.11.2022</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम गिरधारी पिता भगा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी नकल सम्वत् 2023-2066, केसी बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, भगा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थी के पिता हसंराज के मतदाता पहचान पत्र की प्रति, हसंराज के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी के दादा का नाम भगा पिता गिरधारी अंकित है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी के दादा का नाम भगा पिता गिरधारी होना जाहिर आया है। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट में भगा पिता गिरधारी व गिरधारी पिता भगा को एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1740, 1741 किता 2 रकबा 0.0729 हेक्टेयर भूमि में खातेदार गिरधारी पिता भगा के बजाय भगा पिता गिरधारी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

